एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

(एअर इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी)

वाक-इन-नियुक्ति

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएटीएसएल) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ऐसे भारतीय नागरिक (पुरूष और महिला) को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त करना चाहती है, **जो दिल्ली स्थित कंपनी के मुख्यालय में अवस्थित कंपनी सचिव पद के लिए** इस विज्ञापन में निर्धारित अपेक्षाएं पूरी करता हो। यह नियुक्ति तीन वर्षों की नियत अवधि की संविदा के आधार पर की जाएगी और इस अवधि को उनके कार्य-निष्पादन और कंपनी की आवश्यकता के अनुरूप नवीकृत किया जा सकता है।

पद	**स्टेशन**	**रिक्तियों की संख्या**	वाकइन- **साक्षात्कार की तिथि और समय**	**स्थल**
कंपनी सचिव	दिल्ली	01	12जनवरी,2019 सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक	द्वितीय तल, जी एल डी काम्पलैक्स, इंदिरा गांधी एअरपोर्ट टर्मिनल-2, नई दिल्ली

<u>दिनांक </u>1जनवरी,2019<u> की स्थिति के अनुसार</u> इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक से अपेक्षित है कि वे उपर निर्दिष्ट तिथि और समय पर साक्षात्कार हेतु स्थल पर उपस्थित हों।

2. <u>दिनांक </u>1जनवरी,2019<u>की स्थिति के अनुसार पात्रता मानदंड</u>

कंपनी सचिव

शैक्षणिक अर्हताएं : भारतीय कंपनी सचिव संस्थान से कंपनी सचिव का पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य होना चाहिए।

वरीयता : ऐसे आवेदकों को वरीयता दी जाएगी, जिन्होनें कानून में अतिरिक्त अर्हता प्राप्त की हो।

अनुभव : अभ्यर्थी के पास इस **संव्यवसाय** में कम से कम 05 वर्षों का कार्यानुभव हो।

इस कार्यानुभव में स्वतंत्र रूप से कंपनी कार्य का संचालन और बोर्ड की बैठके संचालित करने का कार्य शामिल होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास कंपनी लॉ बोर्ड, सरकारी अभिकरणों और न्यायालयों के समक्ष सांविधिक मामलों में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने का अनुभव होना चाहिए।

ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास किसी एअरलाइन अथवा ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी या विमानन संबंधी सेवाओं में कार्य करने का अनुभव हो।

वेतन : आपसी सहमति से निर्धारित किया जा सकता है। वेतन अर्हता और अनुभव के अनुरूप होगा।

ऊपरी आयु सीमा : 40 वर्ष

सामान्य : 40 वर्ष से अधिक नही (02.01.1979 और 01.01.2001 के बीच जन्म हुआ हो)

अन्य पिछड़ा वर्ग : 43 वर्ष से अधिक नही (02.01.1976 और 01.01.2001 के बीच जन्म हुआ हो)

अ.जा/अ.ज.जाति : 45 वर्ष से अधिक नही (02.01.1974 और 01.01.2001 के बीच जन्म हुआ हो)

3. <u>चयन प्रक्रिया</u> :

(क) ग्रुप डिस्कसन और/या व्यक्तिगत साक्षात्कार

(ख) विज्ञापन में यथा उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों से अपेक्षित है कि वे उसी दिन/अगले दिन ग्रुप डिस्कसन और/या व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। ग्रुप डिस्कसन में पास होने वाले अभ्यर्थी को उसी दिन/अगले दिन व्यक्तिगत साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। ग्रुप डिस्कसन और/या व्यक्तिगत साक्षात्कार का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। बाहर से आने वाले अभ्यर्थी को आवश्यकता पड़ने पर अपने रहने और खाने की व्यवस्था का खर्च स्वयं वहन करना होगा।

पदों का आरक्षण प्रेसिडेंसियल निदेशों के अनुसार होगा।

4. <u>आवेदन का तरीका</u> :

4.1 **दिनांक 1जनवरी,2019** को इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों से अपेक्षित है कि वे विधिवत ढंग से भरे हुए आवेदन पत्र और शंसापत्रों/प्रमाणपत्रों (विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन प्रारूप के अनुसार) की प्रतियों और 'एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड' के पक्ष में **मुंबई** में देय डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्यम से **500/- रूपए** के गैर-प्रत्यर्पणीय **आवेदन शुल्क** के साथ उपर निर्दिष्ट तिथि और समय पर **साक्षात्कार हेतु प्रत्यक्ष रूप** से स्थल पर उपस्थित हों। भूतपूर्व सैनिकों/अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। <u>कृपया डिमांड ड्राफ्ट के पीछे पूरा नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर लिखें।</u>

4.2 एक पूरे चेहरे का (फ्रंट व्यू) हाल का खींचा हुआ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (जो तीन महीने से पुराना न हो) आवेदन पत्र में दिए गए स्थान में चिपकाया जाना चाहिए।

4.3 आवेदन पत्र की मद संख्याओं 3, 4, 11, 12, 13, 14 और 16 के संदर्भ में सहायक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाए। **आवेदन पत्र के साथ मूल प्रमाणपत्र संलग्न न किए जाए किंतु आवेदक सत्यापन के लिए इसे साथ लेकर आएं**। कंपनी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किसी शंसापत्र/प्रमाणपत्र की मूल प्रति/प्रतियों को वापस करने के लिए जिम्मेवार नहीं है।

4.4 अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की विधिवत प्रमाणित प्रति जमा करानी होगी। प्रमाणपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ, विशेषरूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर रखे गए सामाजिक रूप से अगड़े वर्गों से संबंधित नहीं है।

प्रमाणपत्र में **क्रीमीलेयर निवारण अनुच्छेद** भी होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाणपत्र **राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार नहीं बल्कि भारत सरकार** द्वारा प्रकाशित ओबीसी की केंद्रीय सूची के अनुसार होना चाहिए ।

4.5 सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत आवेदक को उचित माध्यम से अथवा मौजूदा नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करना चाहिए।

5. सामान्य शर्तें :

5.1 शार्टलिस्ट किए गए उपयुक्त अभ्यर्थी मेरिट आर्डर में अपनी बारी, अजा/अजजा/ओबीसी के आरक्षण के लिहाज से रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन नियत अवधि संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाएंगे। प्रत्याशित अभ्यर्थी को पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

5.2 अजा/अजजा/ओबीसी/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का आरक्षण पर पदों के आरक्षण के संबंध में सरकार के निदेशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

5.3 परीक्षा स्थल से 80 किमी. के दायरे से बाहर निवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी जो किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्तशासी निकाय में कार्यरत नहीं हैं, को निर्धारित प्रारूप में अनुरोध जमा करने और इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के अध्यधीन नियमानुसार निकटतम मार्ग से रेल के द्वितिय श्रेणी/बस से आने-जाने के किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5.4 बिना हस्ताक्षर किए हुए / अपूर्ण / कटे-फटे / निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.5 आवेदकों/ अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे **दिनांक 1जनवरी,2019 की स्थिति** के अनुसार सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण हर तरह से सही हैं। एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र वापस नहीं किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण पर यदि आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विवरण या संलग्न किए गए शंसापत्र गलत/झूठे पाए जाते है या पद के लिए निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा और यदि अभ्यर्थी नियुक्त किया जा चुका है तो बिना कोई नोटिस दिए या इसका कारण बताए सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

5.6 अपनी नियुक्ति / चयन के लिए अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से कोई अनुयाचन या राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन **निरस्त** हो जाएगा।

5.7 आवेदन पत्र का प्रारूप नीचे दिया गया है।

****

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

(एअर इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी)

विज्ञापन :**जनवरी2019**

केवल कार्यालय के उपयोग हेतु

<table>
<tr><td>विज्ञापन</td><td>रोजगार कार्यालय</td><td>अजा/अजजा/ओबीसी/ सामान्य/भू.पू. सैनिक</td><td>टोकन संख्या</td><td>पात्र / पात्र नही (पा./पा.न.)</td><td>अभ्युक्ति</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">जारी करने वाले बैंक और शाखा का नाम और पता</td><td>जारी करने की तिथि</td><td colspan="2">डिमांड ड्राफ्ट संख्या</td><td>धनराशि</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">पंजीकरण के समय जारी टोकन/स्लिप को आवेदन के साथ संलग्न किया जाए</td><td colspan="2">पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर</td><td></td></tr>
</table>

आवेदन-पत्र का प्रारूप

हाल का रंगीन
फोटो चिपकाए
और इसके आर
पार हस्ताक्षर करे

सेवा में,

एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
प्रथम तल, जीएसडी कांप्लेक्स,
गेट नंबर 5 के निकट,
सहार, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400099
आवेदित पद : कंपनी सचिव

स्टेशन : दिल्ली

1. पूरा नाम: **(स्पष्ट अक्षरों में)**

____

पहला मध्य अंतिम

2. पिता का नाम : ______________________________

3. जन्मतिथि : (दिन / माह / वर्ष) ______________________

4. जन्म का स्थान और राज्य : ______________________

5. पत्राचार का पता : ____

____

____

शहर : ________________________ **पिन कोड**: ____________________________

राज्य : ________________________

क) टेलीफोन नंबर: आवास (एसटीडी कोड सहित): _________________________________

ख) मोबाइल नंबर: ________________________ ग) ईमेल आईडी: ________________

(अनिवार्य) (अनिवार्य)

6. लिंग : पुरूष / महिला

7. वैवाहिक स्थिति : उचित खाने में **X** का चिन्ह लगाएं

अविवाहित	विवाहित	तलाकशुदा	विधवा/विधुर	वियुक्त

8. राष्ट्रीयता : __________________ 9. धर्म: __________________________

10. मातृभाषा : ___________________

11. पैन नंबर : ___________________ 12. आधार कार्ड नंबर _____________________

13. किससे संबंधित हैं अजा / अजजा / ओबीसी / सामान्य : (उप-जाति का भी उल्लेख करें)

उप जाति	अ. जा.	अ. ज. जा.	ओबीसी	सामान्य

(उचित खाने मे **X** का चिन्ह लगाकर अपनी श्रेणी का उल्लेख करें)

क) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हैं तो जाति प्रमाणपत्र संलग्न करें।
यदि ओबीसी हैं तो 'नान-क्रीमीलेयर अनुच्छेद' सहित नवीनतम प्रमाणपत्र संलग्न करें।

<u>ओबीसी समुदाय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ओबीसी की केंद्रीय सूची के अनुसार होना चाहिए।</u>

ख) क्या भूतपूर्व सैनिक हैं : हां / नहीं
यदि हां तो सेवा, पद धारण अवधि, रिलीज की तिथि, रिलीज के बाद अनुभव का विवरण प्रस्तुत करें
(संगत दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें)

ग) क्या पुलिस सेवा से हैं : हां / नहीं
(विवरण प्रस्तुत करें)

घ) क्या किसी सरकारी/अर्धसरकारी/
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्तशासी
निकाय में कार्यरत हैं हां / नहीं
यदि हां तो 'अनापत्ति पत्र प्रमाणपत्र संलग्न करें

14. शैक्षणिक अर्हताएं (मैट्रिक परीक्षा / एसएससी और इसके आगे की योग्यता)

उत्तीर्ण परीक्षाएं (उपाधि का उल्लेख करें यथा बीए / बीएएससी / बीकाम आदि / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम)	**विश्वविद्यालय/ संस्था का नाम**	**उत्तीर्ण होने की तिथि, माह और वर्ष**	**अवधि**	**अंकों का प्रतिशत (क्लास/डिविजन)**
10वीं (एसएससी)				
12वीं (एचएससी या डिग्री पूर्व)				
डिग्री (स्नातक) प्रथम वर्ष -----				
द्वितीय वर्ष ------				
तृतीय वर्ष -------				
स्नातकोत्तर डिग्री प्रथम वर्ष --- द्वितीय वर्ष -----				
कंपनी सचिव				
कोई अन्य (उल्लेख करें) ____________ ____________ ____________				

15. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्य हैं : हां / नहीं

वैध सदस्यता संख्या____________________ वैधता तक________________

16. भाषा संबंधी पटुता : उपयुक्त खाने में **X** का चिन्ह लगाएं

भाषाएं	**पढ़ना**	**बोलना**	**लिखना**	**टिप्पणी** *
क) अंग्रेजी				
ख) हिंदी				
ग) स्थानीय भाषा (उल्लेख करें)				
घ) मातृ भाषा				
ड़) अन्य (उल्लेख करें)				

* बताएं कि कोई प्रमाणपत्र/भाषा कोर्स किया है यदि हां तो पाठ्यक्रम की अवधि के साथ ऐसे प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करें।

17. कार्य अनुभव :

संगठन का नाम	**धारित पद**	**सेवा की अवधि**		**कार्य की प्रकृति**
		से	तक	

अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करें।

18. एअर इंडिया लिमिटेड या इसकी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत रिश्तेदार/संबंधी।

नाम	पदनाम	कंपनी	संबंध

19. <u>**घोषणा :**</u> **मैं एतदद्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी और विश्वास से एकदम सही हैं। मैंने उपर्युक्त विवरण में किसी वास्तविक तथ्य या तथ्यात्मक सूचना को नही छिपाया है।** मुझे ज्ञात है कि यदि मैंने गलत सूचना दी या किसी वास्तविक तथ्य या तथ्यात्मक सूचना को छिपाया या मैं विज्ञापन के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती हूं तो बिना कोई नोटिस दिए या इसके लिए कोई कारण बताए मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है / सेवा समाप्त की जा सकती है।

स्थान : ____________________________ ________________________________

(आवेदक का हस्ताक्षर)

दिनांक : ______________________________

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों (प्रतियों) की सूची

(कृपया सत्यापन के लिए सभी मूल प्रमाणपत्र साथ लेकर आएं)

i)	आवेदन शुल्क, जहां कहीं लागू हो	
ii)	स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र	
iii)	10वीं/मैट्रिक परीक्षा का अंकपत्र और उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र	
iv)	12वीं/डिग्री पूर्व परीक्षा का अंकपत्र और उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र	
v)	स्नातक प्रथम वर्ष का अंकपत्र	
vi)	स्नातक द्वितीय वर्ष का अंकपत्र	
vii)	स्नातक तृतीय वर्ष का अंकपत्र	
viii)	डिग्री प्रमाणपत्र या प्रोविजनल डिग्री प्रमाणपत्र	
ix)	सीए/आईसीएमए- (प्रत्येक वर्ष का अंकपत्र और प्रमाणपत्र)	
x)	भारत के कम्पनी सचिवों के संस्थान के साथ सदस्यता का दस्तवेजी प्रमाण	
xi)	अजा/अजजा/ओबीसी अभ्यर्थियों के संबंध में जाति प्रमाणपत्र	
xii)	भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में डिस्चार्ज प्रमाणपत्र	
xiii)	अनुभव प्रमाणपत्र	
xiv)	राष्ट्रीयता/अधिवास प्रमाणपत्र	
xv)	पैन कार्ड की प्रति	
xvi)	आधार कार्ड की प्रति	

"प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से 1 जनवरी, 2015 या इसके बाद का जारी हुआ होना चाहिए"

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने/केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं (सीईआई) में प्रवेश लेने हेतु अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ________________ सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती ____________________ निवासी ग्राम/शहर ________________ जिला/डिविजन __________________ राज्य ____________________ में _____________________ समुदाय में आते हैं जो पिछड़े वर्ग के रूप में निम्नानुसार मान्य है:

(i) भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड ।, संख्या 186, दिनांक 13/09/93 में प्रकाशित दिनांक 10/09/93 की संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी (सी)

(ii) भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड ।, संख्या 163, दिनांक 19/10/94 में प्रकाशित दिनांक 20/10/94 की संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसी

(iii) भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड ।, संख्या 88, दिनांक 25/05/95 में प्रकाशित दिनांक 24/05/95 की संकल्प संख्या 12011/7/95-बीसीसी

(iv) संकल्प संख्या 12011/96/94-बीसीसी, दिनांक 9/03/96

(v) भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड ।, संख्या 210, दिनांक 11/12/96 में प्रकाशित दिनांक 06/12/96 की संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसी

(vi) संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी, दिनांक 03/12/97

(vii) संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी, दिनांक 11/12/97

(viii) संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी, दिनांक 27/10/99

(ix) भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड ।, संख्या 270, दिनांक 6/12/99 में प्रकाशित दिनांक 06/12/99 की संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी

(x) भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड ।, संख्या 71, दिनांक 4/4/2000 में प्रकाशित दिनांक 04/04/2000 की संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी

(xi) भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड ।, संख्या 210, दिनांक 21/09/2000 में प्रकाशित दिनांक 21/09/2000 की संकल्प संख्या 12011/44/99-बीसीसी

(xii) संकल्प संख्या 12015/9/2000-बीसीसी, दिनांक 06/09/2001

(xiii) संकल्प संख्या 12011/1/2001

(xiv) -बीसीसी, दिनांक 19/06/2003

(xv) संकल्प संख्या 12011/4/2002-बीसीसी, दिनांक 13/01/2004

(xvi) भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड ।, संख्या 210, दिनांक 16/01/2006 में प्रकाशित दिनांक 16/01/2006 की संकल्प संख्या 12011/9/2004-बीसीसी

श्री/श्रीमती/कुमारी ______________ और/या उनका परिवार सामान्यतया _________________ जिला/मंडल _______________राज्य में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/93 के का.ज्ञा. संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) जिसे दिनांक 09/03/2004 के का.ज्ञा. संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरईएस) के तहत संशोधित किया गया है, की अनुसूची के कालम 3 मे वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत नहीं आते हैं।

जिलाधिकारी/उपायुक्त आदि

दिनांक:

मुहर:

नोट : (क) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतया' का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के खंड 20 में दिए गए अर्थ के समान है।

(ख) जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची नीचे दी गई है:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ उप कलक्टर/ प्रथम श्रेणी का वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-मंडल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट से नीचे की रैंक का न हो)।

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के रैंक का न हो और

(iv) क्षेत्र का उप मंडल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/ या उसका परिवार निवास करता हो।

महाराष्ट्र राज्य से जारी जाति प्रमाणपत्र का महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा विधिमान्यकरण होना चाहिए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री*/श्रीमती/कुमारी ____________________ सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती ______________________ निवासी ग्राम/शहर __________________ जिला/डिविजन* ____________________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ______________________ में ______________________ जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में निम्नानुसार मान्य है:

* संविधान अनुसूचित जाति आदेश, 1950;
* संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950;
* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951;
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951;

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची द्वारा यथा संशोधित (संशोधन आदेश, 1956, बांबे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976]

* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;
* संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित;
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962;
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;
* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964;
* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968;
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968;
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970;
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978;
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978;
* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989;
* संविधान (अजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
* संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991;
* संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996;
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002;
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002;
* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्थानांतरित हो गए हैं।

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती/कुमारी ______________________ के माता/पिता श्री/श्रीमती* ____________________ निवासी ग्राम/शहर* ____________________ जिला/डिविजन* _____________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ________________ जो _________________________ जाति*/जनजाति से संबंधित हैं जो _________________ द्वारा दिनांक ________________ को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप मान्य हैं, को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी* _______________ और/या उनका* परिवार सामान्यतया ____________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के ग्राम/शहर* ______________ जिला/डिविजन* _____________ में निवास करता है।

स्थान _________________ हस्ताक्षर ____________________

दिनांक ________________ पदनाम _____________________ (कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____________________

* जो शब्द लागू न हो उसे विलोपित कर दें।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का उद्धरण दें।

% जो पैरा लागू न हो उसे विलोपित कर दें।

नोट : (क) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतया निवास करता है' का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के खंड 20 में दिए गए अर्थ के समान है।

(ख) जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है:

1. जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ उप कलक्टर/ प्रथम श्रेणी का वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-मंडल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त
2. मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के रैंक का न हो और
4. क्षेत्र का उप मंडल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/ या उसका परिवार निवास करता हो।
5. केंद्र अथवा राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र संबधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।
6. प्रशासक/ प्रशासक का सचिव (लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह)